संख्या:-32/2015-6488/नौ-5-2014-183बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2015

विषयः **जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद की सीवरेज योजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0एम0यू0/778/03/2014, दिनांक 07.08.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के** यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत **नगर निगम फिरोजाबाद की सीवरेज** परियोजना की व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.12.2014 में सन्दर्भित परियोजना को प्रस्तावित लागत ₹ 17819.00 लाख के सापेक्ष ₹16774.79 लाख (₹ एक सौ सड़सठ करोड़ चैहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की लागत पर अनुमोदित किया गया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत की दर से ₹ 1801.378 लाख सेन्टेज व 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि ₹144.11 लाख सम्मिलित है। अतः परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 16774.79 लाख (एक सौ सड़सठ करोड़ चैहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम पुनरीक्षित एवं द्वितीय पुनरीक्षित लागत के गैप की धनराशि में से ₹ 2845.36 (**₹ अठ्ठाइस करोड़ पैतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र**) धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित प्रथम लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित द्वितीय लागत	अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम एवं क्षितीय पुनरीक्षण के अन्तर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद की सीवरेज योजना	8691.664	11084.07	16774.79	16774.79	5690.72	2845.36

(₹ अठ्ठाइस करोड़ पैतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी।
2. स्वीकृति धनराशि एक मुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

--------2/

3. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. परियोजनान्तर्गत भारत सरकार की शर्तो तथा योजना की गाइड लाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. परियोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

11. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-नगर निगमों को सहायता-03-अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स-35-पूजींगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा। (के.पु./रा.10के.+रा.)

4- यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-558/दस-2015, दिनांक 03.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

THR GO Vittiye swikriti

संख्या- 32/2015-6488(1)/नौ-5-14-183बजट/2013 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।